उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–19/2022–23

छोटो हेम्ब्रम

बनाम्

बाबूधन मुर्मू एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक

प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–26/2021–22 (बाबूधन मुर्मू बनाम् रैयान मौजा सुसनी) के आदेश दिनांक–21.03.2022 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है एवं अपील वाद अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता भी मौजा–सुसनी के प्रधानी पद के लिए उम्मिदवाद थे। अपीलकर्त्ता मौजा–सुसनी नं0–212 के स्थायी निवासी है, जबकि उत्तरवादी बाबूधन मुर्मू सुन्दरपहाड़ी अंचल अन्तर्गत मौजा–सुसनी नं0–22 के निवासी है। वे पोड़ैयाहाट अन्तर्गत सुसनी नं0–212 का निवासी नहीं है। उनका आगे कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा मौजा–सुसनी नं0–212 के रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश नहीं दिया गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य है। उन्होंने अपील आवेदन को अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–सुसनी नं0–212 प्रधानी मौजा है। देवान मुर्मू मौजा–सुसनी के गत प्रधान थे। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने गत प्रधान देवान मुर्मू के ज्येष्ठ पुत्र के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत उत्तरवादी बाबूधन मुर्मू को मौजा–सुसनी नं0–212 का प्रधान नियुक्त किया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–26/2021–22 के आदेश दिनांक– 21.03.2022 नियम के विपरीत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 07/10/22

उपायुक्त,
गोड्डा। 07/10/22

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.26 11:28:00 +05:30
Location: 172.28.32.1